भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1833

(जिसका उत्तर मंगलवार, 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती के कारण हुई राजस्व हानि"

1833. **श्री मोहम्मद नदीमुल हक़ः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती की घोषणा के कारण कुल कितनी राजस्व हानि हुई;
(ख) सकल कर राजस्व पर पड़े प्रभाव का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान कुल कितना कॉर्पोरेट कर संग्रहित किया गया?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): कॉरपोरेट कर की दरों में कमी और अन्य राजकोषीय राहत की घोषणा दिनांक 20 सितंबर, 2019 को की गई और इसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू किया गया था। इससे रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर की दरों में कमी आई और न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की दर 18.5% से घटकर 15% हो गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए कर प्रोत्साहन के कारण अनुमानित राजस्व प्रभाव को बजट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में संसद के समक्ष रखा गया है और यह निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**राजस्व प्रभाव (कॉर्पोरेट कर) (करोड़ रुपये में)**
2019-20	94,110
2020-21	75,218
2021-22	96,892
2022-23	88,109
2023-24	86,810
2024-25 (अनुमानित)	98,095

स्रोत: प्राप्ति बजट 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27

(ग) पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान सकल कारपोरेट कर संग्रहण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**कॉर्पोरेट टैक्स (करोड़ रुपये में)**
2016-17	4,84,924
2017-18	5,71,202
2018-19	6,63,572
2019-20	5,56,876
2020-21	4,57,719
2021-22	7,12,037
2022-23	8,25,834
2023-24	9,11,055
2024-25	9,86,767
2025-26 (संशोधित अनुमान)	11,09,000

स्रोत: *प्राप्ति बजट 2025-26 और 2026-27
